



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA,
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
विकास आयुक्त का कार्यालय / OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER,
सीपज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096. ANDHERI (EAST), MUMBAI - 400 096.
Tel: 022-28294703 / 28294719
Fax: 022-28291754, E-mail: dcseepz_mah@nic.in

सं.सीपज़-सेज/श्रम/505/2015-16/पार्ट-II | 02164

दिनांक: 10/02/2021

परिपत्र सं. श्रम / 23 / 2020-21

विकास आयुक्त, सेज को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार सेजों में स्थित यूनिटों के संबंध में उन पर लागू किए जाने तथा उनका उल्लंघन होने पर आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार इस कार्यालय को है। विकास आयुक्त द्वारा दिनांक 16.10.2020 के कार्यालय आदेश संख्या 199/2020 द्वारा उप विकास आयुक्त को शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। आज की तारीख में सीपज़ (इलेक्ट्रानिकस) तथा जेम तथा ज्वैलरी सेक्टरों में कार्यरत अकुशल, अर्धकुशल तथा कुशल कामगारों / कर्मचारियों के लिए लागू न्यूनतम मजदूरी इस प्रकार है: (दिनांक 01/01/2021 से दिनांक 30/06/2021 तक की अवधि का संशोधित विशेष भत्ता)

1. जेम तथा ज्वैलरी यूनिट्स (अवशिष्ट उद्योग):-

	कुशल	अर्धकुशल	अकुशल
मूल मजदूरी	रु. 12605	रु. 11445	रु. 10350
विशेष भत्ता	रु. 675	रु. 675	रु. 675
कुल	रु. 13280	रु. 12120	रु. 11025
मकान किराया भत्ता (5%)	रु. 664	रु. 606	रु. 551.25
न्यूनतम मजदूरी	रु.13944	रु. 12726	रु. 11576.25

2. मुंबई दूकानें तथा प्रतिष्ठान:-

	कुशल	अर्धकुशल	अकुशल
मूल मजदूरी	रु. 11632	रु. 10856	रु. 10021
विशेष भत्ता	रु. 1092	रु. 1092	रु. 1092
कुल	रु. 12724	रु. 11948	रु. 11113
मकान किराया भत्ता (5%)	रु. 636.2	रु. 597.4	रु. 555.65
न्यूनतम मजदूरी	रु. 13360.2	रु. 12545.4	रु. 11668.65

3. सीपज़ (इलेक्ट्रानिकस) :-

	कुशल	अर्धकुशल	अकुशल
मूल मजदूरी	रु. 6300	रु. 5800	रु. 5300
विशेष भत्ता	रु. 4997	रु. 4997	रु. 4997
कुल	रु. 11297	रु. 10797	रु. 10297
मकान किराया भत्ता (5%)	रु. 564.85	रु. 539.85	रु. 514.85
न्यूनतम मजदूरी	रु. 11861.85	रु.11336.85	रु. 10811.85

श्रम विभाग, महाराष्ट्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वर्ष में दो बार - 1 जनवरी तथा 1 जुलाई से विशेष भत्ता संशोधित किया जाता है।

यूनिटों को निदेश दिया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनका कोई कर्मचारी किसी भी समय न्यूनतम मजदूरी से वंचित न रहे। जोन प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए कि नियोक्ताओं द्वारा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाता रहे, निर्दिष्ट अवधि के भुगतान रजिस्ट्रों की फोटो कापियां मंगवाकर रिकार्डों तथा रजिस्ट्रों की जांच नियमित रूप से करता रहेगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

२१२

(राजू कुमार)

सहाय्यक विकास आयुक्त
सीपज़-सेज़

प्रतिलिपि:-

- 1) सीपज़ अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले सभी यूनिट
- 2) प्रेसिडेंट, सीपज़ जेम्स तथा ज्वैलरी मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन, बीएफसी बिल्डिंग
- 3) चेयरमैन, सीमा, सीपज़ - सेज़, मुंबई
- 4) क्षेत्रीय निदेशक 100% ईओयू तथा सेज़ के ईपीसीईएस
- 5) आईटी अनुभाग - वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए